

बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-05/2016 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, कैमूर (भभुआ), जहानाबाद,
जमुई, एवं गोपालगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं
उत्पादन के द्वृत सर्वेक्षण शीर्ष अन्तर्गत मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ
क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के बहन हेतु राशि
भुगतान के लिए 34,62,100/- (चौतीस लाख बासठ हजार एक सौ)
रूपये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कृषि एवं
कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (ए०ए०आई० डिविजन)
का पत्रांक- 2-3/2016/ए०ए०आई०-ई०ए० दिनांक 24.05.2016 द्वारा केन्द्रीय
योजनागत योजना (क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्वृत सर्वेक्षण/फसल सांख्यिकी के सुधार)
को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त
विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब-15/बी०ए०जी०- 102/2016-811/बी० दिनांक
12.08.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय
वर्ष 2016-17 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-3)
विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 10.08.2016 को स्वीकृति प्रदान
की है एवं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में उपबंधित राशि 31 मार्च 2017 तक की
अवधि के व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक-सर्व०द०-07/2010/2175 दिनांक 25.11.
2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनागत योजना अन्तर्गत द्वृत सर्वेक्षण
योजना में स्वीकृत पदों का ₹ 86,50,000/- (छियासी लाख पचास हजार रुपये) के
अनुमानित व्यय पर पद अवधि विस्तार किया गया है।
3. कंडिका-1 एवं 2 के आलोक में 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष
के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि से नियमानुसार राशि आवंटित
किया जा सकता है।
4. कंडिका-03 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा
सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप
शीर्ष- 0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्वृत सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की
जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022040408 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 6 तक के लिए निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक(आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

[Signature]

[Signature]

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्रावार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रमोद कुमार वर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक- 16

दिनांक- ०५/१२/१६

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. संयुक्त निदेशक योजना/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समृह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्वृत सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-३५ एवं विपत्र कोड-5/3454022040408 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन चापन भूता	01-04 मकान किराया भूता	01-05 परिवहन भूता	01-06 चिकित्सा भूता	01-07 अन्य भूता	योग-वेतन एवं भूते	11-01 यात्रा व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	200000	280000	42000	2400	12000	-	536400	20000	556400
	जिला सांख्यिकी कार्यालय									
2	बक्सर	465000	438300	64800	2800	2200	-	973100	54800	1027900
3	कैमरू (भगुआ)	183600	237000	9100	1200	-	-	430900	25000	455900
4	जहानाबाद	190000	266000	19000	1200	-	-	476200	25000	501200
5	जमुई	187000	234000	18700	600	-	-	440300	25000	465300
6	गोपालगंज	201500	209100	18600	1200	-	-	430400	25000	455400
	कुल योग	1427100	1664400	172200	9400	14200	0	3287300	174800	3462100

(चौतीस लाख बासठ हजार एक सौ) रुपये मात्र

बजट सहायक

प्रशास्त्रा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

नोडल पदाधिकारी

(प्रमोट
कुमार
निदेशक)